न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 114/2023 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/216
दायर दिनांक :– 30.05.2023 निर्णय दिनांक :– 26.05.2025

1. भैराराम पुत्र जैकूराम जाति मेगवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. कानाराम पुत्र जैकूराम जाति मेगवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
3. राधाकिशन पुत्र जैकूराम जाति मेगवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. आसूराम पुत्र दमाराम जाति भांबी निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. भगवानाराम पुत्र दमाराम जाति भांबी निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थीगण का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी अधिकारों एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1025/2741 रकबा 4.3706 हैक्टेयर ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप जिला फलोदी में आई हुई है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से पूर्व ही प्रार्थीगणों के पूर्वजों का एवं सेटलमेंट के बाद में प्रार्थीगण का स्वतंत्र कब्जा व काश्त चला आ रहा है जिस पर प्रार्थीगण की पक्की रहवासीय ढाणी, पानी का टांका एवं पशुओं के बाड़े इत्यादि बने हुवे है जिसमें प्रार्थीगण बारह ही मास अपने अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है। खसरा नम्बर 1025/2741 रकबा 4.3706 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जा काश्त भूमि है। अप्रार्थीगण साधन सम्पन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति है तथा गैर कानूनी और विधि विरूद्व कृत्य करने पर आमदा है इसके विपरित प्रार्थीगण गरीब एवं सीधे सादे व्यक्ति है जो अप्रार्थीगण का मुकाबला करने में असमर्थ है। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये कानून रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम बाप के खसरा नम्बर 1025/2741 रकबा 4.3706 हैक्टेयर भूमि मे

26/5/2025
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थीगण के चले आ रहे शांति पूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अदांजी न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिसका यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 2 की और से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की जमाबंदी सम्वत 2078–2081 ग्राम बाप के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 ग्राम बाप के खसरा नम्बर 1025/2741 रकबा 4.3706 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है। उक्त वादगस्त भूमि वक्त सेटलमेंट अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के पिता के नाम दर्ज अभिलेख थी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 2 के नाम खातेदारी की दर्ज है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। वादीगण के वाद में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण का हक हिस्सा है या नहीं। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के नाम खातेदारी की दर्ज है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपयोग–उपभोग आदि

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

26/5/25

(... पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)